1–गति नियंत्रक उपकरण विनिर्माता हेतु निर्देश

गति नियंत्रक उपकरण विनिर्माता द्वारा निम्नांकित आवश्यक दस्तावेजो एवं प्रति गति नियंत्रक उपकरण के मॉडल एप्रुवल हेतु रु 500/– अवापसी योग्य फीस के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

विनिर्माता द्वारा ऑनलाइन आवेदन अपनी अधिकृत ईमेल आयडी से परिवहन आयुक्त कार्यालय के ईमेल आइडी commr.transpt@mp.gov.in पर करना होगा।

विनिर्माता द्वारा ईमेल करते समय Subject में "SLD APPLICATION" दर्ज किया जाये ताकि परिवहन आयुक्त कार्यालय मे प्राप्त होने वाले विभिन्न ईमेल में से SLD के आवेदन आसानी से श्रेणीबद्ध किये जा सके।

गति नियंत्रक उपकरण विनिर्माता द्वारा भोपाल में डाटा सेंटर स्थापित करने, संभागीय स्तर पर सेल्स एवं सर्विस सेंटर स्थापित करने एवं परिवहन विभाग से विधिवत एप्रुवल प्राप्त करने के उपरांत ही वाहनो पर गति नियंत्रक उपकरण लगाये जाने का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

परिवहन आयुक्त से विधिवत एप्रुवल होने उपरांत, स्मार्ट चिप लिमिटेड, SLD विनिर्माता से प्राप्त टाइप एप्रुव्ड गति नियत्रंक उपकरणो की सूची मय 40, 60 तथा 80 कि.मी. प्रति घंटा गति के टेस्ट रिपोर्ट नम्बर एवं वाहन वेरिएंट जिसके लिए उपकरण एप्रुव किया गया हैं को विभाग के डाटा बेस मे फीड करेगी। डाटा बेस मे फीड करने के पूर्व सूची का मिलान SLD का टाइप एप्रुव करने वाली एजेन्सी के वेब साइड पर दर्ज सूची से किया जायेगा।

डाटा बेस मे सूची फीड करने के उपरांत SLD विनिर्माता कंपनी के डाटा सेंटर का परिवहन विभाग के डाटा बेस के साथ इन्टीग्रेशन किया जायगा।

स्मार्ट चिप लिमिटेड द्वारा परिवहन आयुक्त से विधिवत एप्रुव्ड विनिर्माताओ की सूची परिवहन विभाग के पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

आवश्यक दस्तावेजः–

1	विनिर्माता द्वारा अपनी अधिकृत ईमेल आयडी से ऑनलाईन से प्रस्तुत किये जाने वाले वैधानिक दस्तावेजः– 1. आर्टिकलस तथा मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन/ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉरपोरेशन/ पार्टनरशिप डीड की प्रमाणित प्रति। 2. मध्यप्रदेश राज्य में जी.एस.टी. पंजियन की प्रमाणित प्रति। 3. SLD विनिर्माता कंपनी की ओर से अधिकृत आवेदक को जारी प्राधिकार पत्र जिस पर आवेदक का फोटो, आवेदक के हस्ताक्षर, आवेदक का PAN नम्बर व आधार नम्बर होना अनिवार्य हैं।
कमांक–1	विनिर्माता द्वारा निर्मित विभिन्न मॉडल के SLD हेतु AIS 018: 2001 अनुरूप वैद्य टाइप एप्रुवल सर्टिफिकेट तथा AIS 037 अनुरूप वैद्य कन्फर्मेटी ऑफ प्रोडक्ट (COP) की प्रमाणित प्रति।